छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011
(अग्रहायण-29, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03 एवं 05 से 18 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री अजीत जोगी के स्थान पर अधिकृत सदस्य श्री धर्मजीत सिंह एवं प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामदयाल उइके अनुपस्थित रहे।

2. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज महामहिम राज्यपाल श्री शेखरदत्त जी का जन्म दिवस है। मैं सदन की ओर से उनके जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि उनके मार्गदर्शन और आर्शीवाद से यह प्रदेश प्रगति के उच्च सोपानों को प्राप्त करेगा। जन्म दिवस पर स्वस्थ एवं सफल जीवन हेतु सदन की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 36 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 37 विपक्ष में 48 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24, मरवाही के सदस्य श्री अजीत जोगी द्वारा दिसम्बर, 2011 सत्र में दिनांक 19 दिसम्बर से दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

6. वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 की तिथि निर्धारित की ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

8. वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 79, 80, 81, एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **सोलह सौ अठारह करोड़, तिरसठ लाख, चालीस हजार, दो सौ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री नंदकुमार पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, परेश बागबाहरा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री लखमा कवासी, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, देवेन्द्र बहादुर सिंह, धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2011 (क्रमांक-25 सन् 2011)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2011 (क्रमांक-25 सन् 2011) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2011 (क्रमांक-25 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 6.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 21 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 30, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा